Recd
By
12/02/26

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
आवक क्र. 662
दिनांक 12/02/26
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्र. क /एक-13-01/2026 महासमुन्द दिनांक 11/ 02/2026

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
28/02/2026 संध्या 05:00 बजे तक

कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द/ लिंक कोर्ट सरायपाली के कार्य क्षेत्र अंतर्गत **छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम 2007** के नियम 14 में उल्लेखित प्रावधान का पालन करते हुए विधि व्यवसायी का एक पृथक से पैनल गठित करते हुए विधिक सहायता प्रदान किया जाना है। **छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम** 2007 का नियम **14** इस प्रकार है -

14- **Amicus Curiae (न्यायमित्र)** -

(1) कुटुम्ब न्यायालय, विधि विशेषज्ञों का, जिसमें विधि व्यवसायी सम्मिलित है, जो (**Amicus Curiae**) न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किये जाने के इच्छूक हो, एक पैनल संधारित करेगा।

(2) जहॉं कुटुम्ब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि (**Amicus Curiae**) न्यायमित्र के रूप में एक विधिक विशेषज्ञ की सहायता न्याय के हित में आवश्यक है, तो न्यायालय उक्त पैनल में से एक विधिक विशेषज्ञ नियोजित कर सकेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन नियोजित (**Amicus Curiae**) न्यायमित्र को कुटुम्ब न्यायालय द्वारा रू. 500/- (रू. पांच सौ मात्र) प्रति मामला या कार्यवाही की दर पर जो रू. 5,000/- (रू. पांच हजार मात्र) से अनधिक होगी, फीस तथा व्ययों का भुगतान राज्य के राजस्व में से किया जा सकेगा।

(4) कुटुम्ब न्यायालय, किसी भी समय (**Amicus Curiae**) न्यायमित्र को न्याय हित में हटा सकेगी।

उपरोक्तानुसार इस कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द एवं लिंक कोर्ट सरायापाली कार्य क्षेत्र अंतर्गत संवैधानिक सिद्धांतों और समान न्याय के अनुरूप, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वादियों को **छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम 2007** के नियम 14 में उल्लेखित प्रावधान का पालन करते हुए **महासमुन्द एवं लिंक कोर्ट सरायपाली के** अंतर्गत विधिक विशेषज्ञों/विधि व्यवसायी (अधिवक्ताओं) का एक पृथक से पैनल गठित जाने

जाने हेतु इच्छूक विधिक विशेषज्ञ/विधि व्यवसायी (अधिवक्ता) निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पत्र **कार्यालय न्यायाधीश**, **कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द**, **जिला महासमुन्द (छ.ग.)** की ओर पंजीकृत डाक या सीधे कार्यालयीलन समय में बंद लिफाफा कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द अंतर्गत **(Amicus Curiae)** न्यायमित्र की संख्या एवं कार्य क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है **-**

क्रमांक	कार्य क्षेत्र	पैनल में विधि व्यवसायी की संख्या	रिमार्क
01	कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द	10	
02	कुटुम्ब न्यायालय लिंक कोर्ट सरायपाली	10	
	कुल संख्या	**20**	

नोट- उपरोक्तानुसार गठित की जाने वाली पैनल में विधि व्यवसायी की संख्या में **कमी या वृद्धि** किया जा सकता है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-

01-आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफा में **कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)** में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की **अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 संध्या 05:00 बजे** तक है, अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

02- डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने पर इस कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी, और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

-sd-

न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
महासमुन्द (छ.ग.)

D:\FC_Office\Note_Sheet 2018\Councellor File\Amicus Curiae Penal (न्यायमित्र पैनल) 2026.doc

कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द/लिंक कोर्ट सरायापाली कार्य क्षेत्र अंतर्गत में न्यायमित्र (Amicus Curiae) की नियुक्ति हेतु <u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

स्वप्रमाणित वर्तमान रंगीन फोटोग्राफ चस्पा करें।

प्रति,

श्रीमान न्यायाधीश महोदय,
कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय
महासमुन्द (छ.ग.)

विषयः- **न्यायमित्र (Amicus Curiae) की नियुक्ति के संबंध में।**

---- 00 ----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि कुटुम्ब न्यायालय महासमुन्द/लिंक कोर्ट सरायपाली के लिये न्यायमित्र (Amicus Curiae) की नियुक्ति हेतु मेरा व्यक्तिगत विवरण निम्नानुसार है:-

01- विधि व्यवायी का पूरा नाम ______________________

02- पिता/पति का नाम ______________________

03- जन्मतिथि (अंको में) ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

दिनांक 31/01/2026 को आयु वर्ष .... माह .... दिन ....

04- लिंग (महिला/पुरूष) ______________________

05- जाति/संवर्ग(अजा/अजजा/अपिव/सामान्य) ______________________

06- अधिवक्ता पंजीयन क्रमांक व दिनांक ______________________

(स्टेट बार कॉउसिल में पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

07- वर्तमान पत्र व्यवहार का पता ______________________

____

____

____

मोबाईल नं. ______________________

ई-मेल आई.डी. (यदि हो तो) ______________________

08- राष्ट्रीयता ______________________

09- विधि व्यवसायी के परिवारिक मामलों के कार्यों का अनुभव ______________________

10- समाज कार्य, बाल मनोविज्ञान एवं ______________________________
कुटुम्ब संबंधी परामर्श में अनुभव (यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11- क्या विधि व्यवसायी जिला विधि सेवा प्राधिकरण ______________________
महासमुन्द (छ.ग.) के अंतर्गत पैनल अधिवक्ता ______________________
के रूप में नामित है, यदि हॉ तो विवरण दे। ______________________

12- विधि व्यवसायी का बैंक खाता व अन्य विवरण-

1- बैंक खाता क्रमांक ....
2- बैंक का नाम व शाखा ....
3- आई.एफ.एस.सी.कोड ....
4- स्थायी लेखा क्र. (PAN No.) ....
5- आधार क्रमांक (UDI No.) ....

13- आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेजों का विवरण:-

______________________	______________________
______________________	______________________
______________________	______________________
______________________	______________________
______________________	______________________
______________________	______________________

विधि व्यवसायी का हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

मैं, ... घोषणा करता हूँ कि कुटुम्ब न्यायालय नियम 2007 के नियम 14 के अधीन न्याय हित में संबंधित न्यायालय की सहायता हेतु न्यायमित्र (Amicus Curiae) रूप में कार्य का निष्पादन निष्पक्षता के साथ करूंगा/करूंगी तथा उपरोक्त नियम, उप-नियम के अधीन निर्धारित फीस, व्यय के संबंध में दिये जाने वाला मानदेय की राशि से सहमत हूँ।

दिनांक ....

स्थान ....

विधि व्यवसायी का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर